भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2605
14 दिसम्बर, 2021 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र

2605. श्री संजय सदाशिवराम मांडलिक:
श्री मनोज तिवारी:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्री रविन्दर कुशवाहा:
श्री रवि किशन:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में से एक है जिसका उत्पादन वर्ष 2025-26 तक 535 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक प्रमुख योगदानकर्ता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रसंस्करण स्तरों में सुधार करके बाजार के अवसरों को भुनाने और किसानों की आय में सुधार/वृद्धि करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान एफपीआई द्वारा प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी का ब्यौरा क्या है;

(ड़) विशेष रूप से महामारी के दौरान एफपीआई द्वारा सामना की जाने वाली/सामना की जा रही चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और उक्त चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में एफपीआई की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र के लिए आउटपुट डेटा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के माध्यम से लाया जाता है। उद्योग के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) 2018-19 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में कुल उत्पादन 12,76,995 करोड़ रुपये था, जिसने भारत में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पादन का 12.83% योगदान दिया। एएसआई आंकडों में उत्पादन वृद्धि का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वर्ष 2019-20 में 2.24 लाख करोड़ रुपये था, जो देश में कुल जीवीए का 1.69% योगदान था। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जीवीए विनिर्माण क्षेत्र में जीवीए का 9.87% और कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में जीवीए का क्रमशः 11.38% था।

एएसआई के आंकड़ों (2018-19) के अनुसार 20.05 लाख व्यक्ति खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में लगे हुए थे। इस क्षेत्र ने देश में पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र में लगे कुल व्यक्तियों के 11.22% के सबसे बड़े भाग का योगदान दिया।

(ग): सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं और प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाने सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। किए गए प्रमुख नीतिगत उपायों में शामिल हैं:

(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) मानदंडों के तहत खाद्य और कृषि-आधारित प्रसंस्करण यूनिटों और कोल्ड चेन को कृषि गतिविधि के रूप में शामिल करना।

(ii) एमएफपी में मेगा फूड पार्क (एमएफपी) के साथ-साथ प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना में निवेश के लिए किफायती ऋण प्रदान करने के लिए नाबार्ड के साथ 2000 करोड़ रुपये का एक विशेष खाद्य प्रसंस्करण कोष स्थापित किया गया था।

(iii) खाद्य व्यवसाय करने में आसानी में सुधार लाने के उपाय के रूप में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) उत्पाद-दर-उत्पाद अनुमोदन से एक घटक और योज्य आधारित अनुमोदन प्रक्रिया में स्थानांतरित हो गया है।

(iv) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए स्वचालित मार्ग के तहत पहले से ही 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति थी। भारत में निर्मित/उत्पादित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स सहित खुदरा व्यापार के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है।

(□): □□□□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ (□□□□□□□) □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□:

□□□.□□.	□□□□	□□□□□□ (□□□□□ □□□□ □□□)
1	2017-18	5835.62
2	2018-19	4430.44
3	2019-20	6414.67
4	2020-21	2934.12

स्त्रोत- उद्योग संवर्धन और आन्तरिक व्यापार विभाग

(□.) □□ (□): □□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□) □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□, □□□□□□ □□□□□-19 □□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□, □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ (□□□□□□□□□) □□ □□ □□□ □□ □□□, □□□□□□ □□□□□ □□ -

(i) एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण पर आधारित 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों के दौरान 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देश भर में 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) शुरू करना

(ii) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत "ऑपरेशन ग्रीन्स" योजना के दायरे में टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) से सभी अधिसूचित फलों और सब्जियों (टोटल) तक विस्तार। इसके बाद केंद्रीय बजट 2021 में, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को मूल्यवर्धन और निर्यात के लिए टॉप से 22 विकारी खाद्यों तक बढ़ा दिया गया है।

(iii) वैश्विक खाद्य निर्माण चैंपियन के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करने के लिए 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस)।

(iv) खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सुविधा के लिए, उनके संचालन को पुन: शुरू करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य के अधिकारियों के साथ संपर्क करने के लिए कोविड-19 महामारी के प्रकोप के प्रारंभिक चरण के दौरान एक समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ और एक टास्क फोर्स की स्थापना की थी। सेल द्वारा वर्ष 2020 में कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान उद्योग से संबंधित कुल 585 मुद्दों का समाधान किया गया।

(v) मंत्रालय प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, कृषि उपज की बर्बादी को कम करने, गैर-कृषि रोजगार सृजित करने और किसानों को बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करने तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना-प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है।

*****